फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

______________________ बनाम ______________________

मुकदमा ______________________ नम्बर.............................सन्.....................

अन्तर्गत धारा...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
1/2/17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 8/2/17 को पेश हो।	
8.2.17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 15.2.17 को पेश हो।	
15.2.17 वकील वादी द्वारा प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश ~~नियम~~ 6 नियम 17 CPC सहपठित धारा 151 CPC संशोधित वाद पत्र पेश किया और स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतु भेजी जाकर पत्रावली दिनांक 8.3.17 को पेश हो। S.D.O.	
8/3/17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 10.5.17 को पेश हो।	रमेश कुमार
22/5/17 प्रकरण में कटवारा रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। कटवारा रिपोर्ट TDL पेशकार से पत्रावली दि० 21/6/17 को [illegible] पेश हो। SDO [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2/6/2017	पत्रावली कुछ वक्त देरी पेश हुई। वादीगण उपस्थित।
रमेश कुमार	तहसीलदार, देवरी से प्रतिवेदन बाबत विभाजन के संबंध में जरिये पत्रांक:463 दिनांक 2/6/17 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
अंगूठा निशानी [illegible]	प्राथमिक डिक्री की पालना के लिए जांच रेकार्ड किये जाने पर जाहिर हुआ कि वादीगण भूमि ग्राम सांरगवास के ख०नं० 5-8 से 86
पुष्पा	कुल खसरा 29 कुल रकबा 5.78 हेक्टर के विभाजन के संबंध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.2.17 को पारित है एवं माननीय प्राथमिक
~~[illegible]~~	डिक्री वादीगण को 1/6 हिस्सा की भूमि का विभाजन स्वीकार किया गया। परन्तु वादीगण द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने से
अंगूठा निशानी चिन्ता	पूर्व 1/6 हिस्सा मेंसे भूमि का विक्रय अन्यत्र किये जाने से वर्तमान में वादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में 1/6 के स्थान पर 1/9 ही दर्ज हैं।
संगीता	ऐसी स्थिति में पारित डिक्री की

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
पालना किया जाना संभव नहीं होगा। राजस्व रेकार्ड वर्तमान खतौनी 2072-75 का अवलोकन करने पर जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण द्वारा चाहित 1/6 हिस्सा मेसे 1/18 हिस्सा की भूमि का विक्रय प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने से पूर्व तुलसीराम बाल पुत्र केसाराम, भंवरीदेवी पत्नि तुलसीराम का 1/18 हिस्सा की भूमि का विक्रय किया गया एवं क्रेता तुलसीराम एवं भंवरीदेवी 1/18 हिस्सा के संयुक्त खातेदार राजस्व रेकार्ड खतौनी में दर्ज हो चुके है। यह तथ्य वादीगण अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया एवं न ही क्रेतागण जो 1/18 हिस्सा के खातेदार दर्ज है, उनके द्वारा पक्षकार के लिये ही कोई आवेदन प्राथमिक डिक्री जारित करने से पूर्व प्रा०पत्र O-1 R10 C.P.C. ही प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पालना संभव हो नहीं एवं वादी का वाद भी Infructuous (इनफ्रुक्चुअस) हो जाता है। अत: वाद वादगिता स्वीकार किया जाता है। अंतिम डिक्री परचा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर संचिका में जमा हो।
	उपखण्ड अधिकारी (राजस्व न्यायालय) SDO देवगढ़